फर्द अहकाम

राज्य बनाम महेश गौड़

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर, जयपुर

केस संख्या 31/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
		वकील पार्टी की एवं सरपंच कहा, उनकी गवाही प्रतावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28/7/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
	28/7/23	प्रतावली पेश हुई। वकील पार्टी हाजिर। कन्डोनेशन पेश करने वास्ते आदेश नहीं। उपखण्ड अधिकारी प्रतावली अग्रिम दिनांक 31/7/23 को पेश हो।	
	31/7/23	प्रतावली पेश हुई। वकील पार्टी उप०। प्रतावली आदेश से विचारधीन है, प्रतावली का अवलोकन किया गया। पार्टी की ओर से कहा गया कि पुनर्विचार अतः वकील पार्टी की बहस का शमन करने व प्रतावली का अवलोकन करने पर पार्टी का आचरण अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट की लीकर करना उचित प्रतीत होता अतः पार्टी का आचरण अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट की लीकर किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतावली की नकल अगर होकर नकल की नकल हो तथा बाद प्रति होकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	